राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/10079-10110 जयपुर, दिनांक 13.2.09

उप निदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त (बांसवाडा को छोड़कर)

विषयः–आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जा रहे खाने योग्य पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) की दरों में संशोधन के संबंध में।

संदर्भः–समसंख्यक विभागीय आदेश कमांक 10513–45 दिनांक 19.02.2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के कम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देशों के कम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के कम में आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभाग को विभिन्न उप निदेशक (बाल विकास) एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों से बेबी मिक्स पूरक पोषाहार में प्रयुक्त होने वाली कच्ची खाद्य सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि के कारण बेबी मिक्स पूरक पोषाहार की दरों को संशोधित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श के उपरान्त विभाग द्वारा खाद्य सामग्री की बाजार दरों के आधार पर आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को वितरित किये जा रहे बेबी मिक्स पूरक पोषाहार के संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश कमांक 10513–45 दिनांक 19.02.2008 के बिन्दु संख्या 6 (i) में उल्लेखित दर 2.67 रुपये प्रति 100 ग्राम में आंशिक संशोधन करते हुए 3.45 रुपये प्रति 100 ग्राम की जाती है।

इस संबंध में समसंख्यक आदेशों के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश यथावत रहेगें।

उक्त संशोधित दरें दिनांक 01 जनवरी 2009 से प्रभावी मानी जावेंगी। यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 34 दिनांक 30.01.09 के अनुसरण में जारी किया गया है।

निदेशक एवं पदेन उप सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर

E:\soni\Kailash\0 TO 3 YEARS.DOC